रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 3, 2019/भाद्र 12, 1941
No. 271] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 3, 2019/BHADRA 12, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2019

सं० 29/2015–2020

विषयः वर्ष 2019–20 के लिए प्रशुल्क दर कोटे के तहत यूएसए को चीनी के तरजीही निर्यात का आवंटन।

फा. सं. 01/91/180/879/एएम–08/निर्यात सेल/(खण्ड VIII).––विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा अमरीकी राजकोषीय वर्ष 2020 (01 अक्तूबर, 2019 से 30 सितम्बर, 2020 तक) के लिए यूएसए को प्रशुल्क दर कोटे (टीआरक्यू) के तहत निर्यात के लिए 8424 मीट्रिक टन (आठ हजार चार सौ चौबीस मीट्रिक टन) खांड, परिष्कृत एवं विशिष्ट चीनी और चीनी से निर्मित उत्पादों का आवंटन करते हैं।

2. अधिसूचना सं० 3/2015–20, दिनांक 20.04.2015 के अनुसार, टीआरक्यू के तहत यूएसए को चीनी (एचएस कोड 17010000) का निर्यात, उपरोक्त अधिसूचना में 'प्रतिबंधों का स्वरूप' में अधिसूचित शर्तों के अधीन ''मुक्त'' है।

3. यूएसए को चीनी के तरजीही निर्यात हेतु उद्गम प्रमाण–पत्र, यदि अपेक्षित हो, अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, मुम्बई द्वारा जारी किया जाएगा। यूएसए को चीनी के निर्यात के लिए विशेष रूप से निर्धारित अन्य प्रमाणन शर्त यदि कोई हो, का अनुपालन किया जाना जारी रहेगा।

4. अधिसूचना सं. 20 दिनांक 07.09.2015 के साथ पठित अधिसूचना सं. 3/2015–2020, दिनांक 20.04.2015 द्वारा यथा अधिसूचित रिपोर्टिंग की शर्त का अनुपालन किया जाएगा।

5. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः**

टीआरक्यू के तहत यूएसए को 01 अक्तूबर, 2019 से 30.09.2020 तक निर्यात किए जाने के लिए 8424 मीट्रिक टन (आठ हजार चार सौ चौबीस मीट्रिक टन) खांड की मात्रा अधिसूचित की जाती है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 3rd September, 2019

No. 29/2015-2020

Subject:- Allocation of preferential export of sugar to USA under TRQ for the year 2019-20.

F.No. 01/91/180/879/AM08/Export Cell (Vol.VIII).—In exercise of the powers conferred under Paragraphs 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby allocates 8424 MTs (Eight thousand four hundred and twenty four metric tons) of Raw Cane Sugar, Refined and Speciality Sugar and Sugar – Containing Products for export under Tariff Rate Quota (TRQ) to USA for the US fiscal year 2020 (October 1, 2019 to September 30, 2020).

2. As per Notification No. 3/2015-20 dated 20.04.2015, export of sugar (HS Code 17010000) to USA under TRQ is 'Free' subject to the conditions notified in the 'Nature of Restrictions' in the above notification.

3. Certificate of Origin, if required, for preferential export of sugar to USA, shall be issued by Additional Director General of Foreign Trade, Mumbai. Other certification requirement, if any, prescribed specifically for export of sugar to USA would continue to be followed.

4. The reporting requirement as notified vide Notification No. 3/2015-2020 dated 20.04.2015 read with Notification No. 20 dated 07.09.2015 would be followed.

5. **Effect of this Public Notice:**

The quantity of raw sugar 8424 MTs (Eight thousand four hundred and twenty four metric tons) to be exported to USA under TRQ from 01.10.2019 upto 30.09.2020 is notified.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.09.04 11:33:32 +05'30'